भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *464

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

*464. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना (डीटीसी)" की शुरुआत के बाद से चालक की गलती के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है कि यह सहायता विशेषकर ग्रामीण या अल्पसेवित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित सभी हितधारकों को सुलभ हो;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि का समुचित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वाणिज्यिक वाहन चालकों की बढ़ती कमी को देखते हुए इन वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से सरकार को केन्द्रों के भीतर और व्यापक परिवहन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में कितनी नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है;

(ङ) सभी जिलों में इस योजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या देश भर में ऐसे केन्द्रों की स्थापना में विलंब या चुनौतियों के कारण इस योजना को वर्ष 2020 से आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना" के संबंध में श्री बी. मणिक्कम टैगोर और श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *464 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से ड्राइविंग प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर ड्राइविंग आदतें विकसित करके सड़क सुरक्षा में सुधार करना, कौशल परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत कुल 87 संस्थानों/केन्द्रों को मंजूरी दी गई है:

केंद्र का प्रकार	स्वीकृत	संचालित किए जा रहे हैं
आईडीटीआर	31	22
आरडीटीसी	15*	2
डीटीसी	41	3
कुल	**87**	**27**

*इसमें कर्नाटक राज्य का सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत एक प्रस्ताव भी शामिल है।

इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) है। सीआईआरटी, पुणे की रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान संचालित किए जा रहे आईडीटीआर में कुल 9,21,448 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एजेंसी (पीएमयू) की रिपोर्ट के अनुसार :

- **प्रशिक्षित ड्राइवरों की संख्या में वृद्धि:** इस योजना से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित ड्राइवरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कार्यक्रम की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।
- **राज्यों में प्रशिक्षण का फैलाव :** विभिन्न राज्यों में भागीदारी का स्तर अलग-अलग है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में संचालित किए जा रहे आईडीटीआर में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे अन्य राज्यों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है।
- **वार्षिक प्रवृत्ति :**
    - प्रशिक्षित ड्राइवरों की कुल संख्या 2019-20 में 159,182 अभ्यर्थियों के साथ अधिक थी।

- इसके बाद, 2020-21 और 2021-22 में (कोविड-19 महामारी और अन्य कारकों के कारण) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आई तथा 2022-23 में 75,235 अभ्यर्थियों के साथ इसमें सुधार दिखना शुरू हो गया।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता सभी हितधारकों, विशेष रूप से ग्रामीण या अल्पसेवित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंच सके, योजना के दिशा-निर्देशों में एक मजबूत और सुव्यवस्थित तंत्र निर्धारित किया गया है। यह कार्यतंत्र ग्रामीण और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. **आईडीटीआर/आरडीटीसी के लिए मानदंड:** आईडीटीआर और आरडीटीसी की स्थापना के मानदंड अनुमानित जनसंख्या पर आधारित हैं, अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति 2.5 करोड़ जनसंख्या पर एक आईडीटीआर और प्रति 1.00 करोड़ जनसंख्या पर एक आरडीटीसी। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या 1.00 करोड़ से कम है और जिनके लिए अभी तक इस योजना के तहत आईडीटीआर/आरडीटीसी स्वीकृत नहीं किया गया है, वे भी प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक आरडीटीसी की मंजूरी के लिए पात्र हैं। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) की स्थापना योजना कार्यनीतिक रूप से तैयार की गई है, ताकि कोई भी आईडीटीआर मुख्य शहर या नगरपालिका सीमा से 8-10 किमी से अधिक दूर न हो। यह व्यापक आबादी के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं जिन्हें अन्यथा प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
2. **ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी):** ड्राइविंग प्रशिक्षण पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए सभी आकांक्षी जिलों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने की योजना लागू की गई है। पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक परियोजना को स्वीकृति देने को प्राथमिकता दी जाती है।
3. **जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त डीटीसी:** इस योजना में अधिक जनसंख्या वाले जिलों के लिए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अतिरिक्त डीटीसी पर विचार करने की अनुमति दी गई है:
    - 10 लाख से 20 लाख की आबादी वाले जिलों के लिए एक अतिरिक्त डीटीसी।
    - 20 लाख से 30 लाख की आबादी वाले जिलों के लिए दो अतिरिक्त डीटीसी।
    - 30 लाख से 40 लाख की आबादी वाले जिलों के लिए तीन अतिरिक्त डीटीसी।
    - 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों के लिए चार अतिरिक्त डीटीसी।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि डीटीसी उन जिलों में स्वीकृत किए गए हैं जहां आईडीटीआर या आरडीटीसी स्वीकृत नहीं किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसेवित क्षेत्रों को विकास के लिए प्राथमिकता दी जाए।

4. **संस्थाओं की पात्रता:** यह योजना विभिन्न संस्थाओं जैसे राज्य के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सहकारी समितियों, वाहन विनिर्माताओं और फर्म - अनिवार्य रूप से राज्य या केंद्र सरकार के कानूनों के तहत पंजीकृत कोई भी कानूनी संस्था के लिए खुली है। इस व्यापक पात्रता से यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय ज्ञान और अनुभव वाले हितधारकों सहित विविध प्रकार के हितधारक ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के विकास और क्रियान्वयन में शामिल हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश के सभी कोनों तक इस योजना की पहुंच हो।

संक्षेप में, यह कार्यतंत्र ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, जनसंख्या सघनता के आधार पर पहुंच सुनिश्चित करके और योजना के कार्यान्वयन में योगदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को अनुमति देकर समावेशिता पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अंततः सभी हितधारकों को लाभ होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऐसी सेवाओं तक पहुंच पारंपरिक रूप से सीमित है।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों का उचित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार में एक मजबूत निगरानी तंत्र है। परियोजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया तैयार की गई है। प्रक्रिया में शामिल प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

1. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना:** पहले चरण में विभिन्न संस्थाएं डीपीआर तैयार करती हैं। इस रिपोर्ट में आईडीटीआर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेआउट योजना और सिविल अनुमान की तैयारी आदि शामिल है।
   - **सुस्पष्ट अनुशंसाएं:** प्रस्ताव परिवहन आयुक्त/मंडल आयुक्त/जिला कलेक्टर द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनुशंसित किए जाएंगे।
2. **परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा डीपीआर की जांच और अंतिम अनुशंसा:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा डीपीआर की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है। समीक्षा पूरी होने के बाद, परियोजना प्रबंधन एजेंसी स्वीकृति के लिए अंतिम अनुशंसा प्रदान करती है।

(घ) देश में प्रशिक्षित वाणिज्यिक वाहन चालकों की कमी है। इन केंद्रों की स्थापना से आईडीटीआर, आरडीटीसी और डीटीसी केंद्रों के संचालन के लिए अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित उद्योगों में हजारों रोजगार सृजित हो रहे हैं । इन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से निम्नलिखित अपेक्षा है:

- नये ड्राइवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- मांग में निरंतर वृद्धि के कारण वाणिज्यिक वाहन चालक कार्यबल में कमी दूर होगी।

- इससे संबंधित क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, परिवहन प्रबंधन और वाहन रखरखाव में रोजगार में संभावित वृद्धि होगी।

(ड.) सभी जिलों में योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित अंतराल पर राज्य सरकारों, परिवहन विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- निधियों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करना।
- मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए साइट का दौरा करना।

(च) इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र अवधि यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लागू करने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर जनवरी, 2025 में योजना के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया, जिसमें डीटीसी की स्थापना के लिए बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता, प्रशिक्षण परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण, क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत प्रस्तावों को प्राथमिकता देना आदि जैसे कुछ बदलाव शामिल हैं।

*****